भारत में महिला मानवाधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (1947–2016)

राजनीतिक विज्ञान में पीएच.डी उपाधि हेतु शोध प्रस्तावना

शोध निर्देशिका

डॉ. सपना गहलोत

शोधार्थी

गीता कुमारी

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, भारत

मार्च, 2016

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	पृष्ठभूमि	1–11
2.	विषय एवं अध्ययन क्षेत्र	11–12
	1. भारत में महिला मानवाधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 1947 से 2016 तक	
3.	उद्देश्य	12–13
4.	अध्ययन रूप रेखा	13–14
	1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	
	2. मानवाधिका उद्‌भव व स्वरूप	
	3. भारतीय महिला मानवाधिकार की स्थिति (1947–1965)	
	4. भारतीय महिला मानवाधिकार की स्थिति (1966–1985)	
	5. भारतीय महिला मानवाधिकार की स्थिति (1986–2000)	
	6. 21 वीं सदी में भारतीय महिला मानवाधिकार की स्थिति (2001–2016)	
	7. समाधान	
	8. उपसंहार	
5.	शोध परिकल्पना	15–15
6.	शोध प्रश्न	15–15
7.	शोध पद्धति	16–16
8.	साहित्य अवलोकन	16–21
9.	संदर्भ टिप्पणी	23–26

1. पृष्ठभूमि :–

संसार में ईश्वर की अनुपम कृति मानव है। मानव की उत्पति का इतिहास अति प्राचीन है। इसका विकास विभिन्न चरणों से हुआ है। मानव के विकास के साथ ही उसे अधिकारों की आवश्यकता महसूस हुई। इस आवश्यकता को ही मानवाधिकार कहा जाता है। मानव को अपनी गरिमा बनाये रखने के लिये मानवाधिकारों की आवश्यकता है। मानव को जीवन की कल्पना अधिकारों के बिना नही की जा सकती। वस्तुतः किसी व्यक्ति के मानव होने और मानव बने रहने के लिये अधिकार अनिवार्य है। मानवाधिकारों को स्वीकार करने से मानव सभ्यता का विकास संभव हुआ है।

प्राचीन समय मे मानवाधिकार दिव्य माने जाते थे अर्थात ईश्वर प्रदत्त थे। धीरे – धीरे मनुष्य को जंजीरों मे जकड़ दिया गया, उनसे निकलने के लिये अपने अधिकारों का प्रयोग करके आंदोलन किये गये, जिसका परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र वातावरण मे अपने मानवाधिकारों के साथ जी रहे है।

मानवाधिकारों की संकल्पना उतनी ही पुरानी है, जितनी प्राकृतिक विधि है। प्रकृति पर निवास करने वाले सभी जीव स्वतंत्रता की इच्छा रखते है। मानव को अपने सर्वांगीण विकास व अस्तित्व की रक्षा के लिये स्वतंत्रता आवश्यक है। जिसका ही दूसरा रूप अधिकार है। प्राचीन समय मनुष्य में बल प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, जिसके माध्यम से दूसरे के अधिकारों का हनन किया जाने लगा। कुछ लोग अपने आपको शासक समझने लगे तथा अन्य लोगो के साथ जानवरों के समान व्यवहार करने लगे। इस समय मानव में स्वामित्व की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी, जो कि अधिकारों का हनन करती है। इन परिस्थितियों में मानवाधिकार पिछे छूटने लगे। लम्बे समय तक ऐसा चलता रहा, परन्तु बाद में इनका विरोध शुरू हुआ तथा अधिकारों की मांग की गई। इसी कारण लगभग 200 वर्ष पूर्व फ्रांसिसी लेखक जीन जैक्स रूसो ने लिखा था “मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है।” अपनी इस सूक्ति में रूसो ने शोषण तथा असमानता के बंधनों में जकड़े हुए जनसाधारण की स्वतंत्र होने की स्वाधीनता, आजादी तथा समानता का

बेहतर जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया था।

अमरीका तथा फ्रांसिसी क्रांतियों के पश्चात मानव अधिकारों की घोषणा हुई उसके द्वारा मानव के महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार किया गया।

आधुनिक काल में मानवाधिकारों के लिये संघर्ष इंग्लैण्ड़ में 13वीं शताब्दी में आरम्भ हुआ।

1215 ई. में प्रसिद्ध मैग्नाकार्टा की घोषणा से संसद को राज नियंत्रण का अधिकार मिला।

1618 ई. में गोरवपूर्ण क्रांति एवं 16 सितम्बर 1689 की 'अधिकार घोषणा' मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के संघर्ष मे मील का पत्थर है। मानव अधिकारों की घोषणा के आधार पर समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व को कानूनी अधिकारो की मान्यता प्राप्त हुई।

प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध ने मानवता का घोर विनाश किया, जिसका परिणाम संयुक्त राष्ट्र संघ है। मानवीय कल्याण के लिये 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस संस्था के द्वारा मानवाधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिये प्रयास आरम्भ किये गये। इस संस्था ने मानवाधिकारों को प्रथम बार वैश्विक स्तर पर संरक्षण उपलब्ध कराने का कार्य किया। मानवो के आपसी मानवाधिकार हनन को देखते हुये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को सभी के लिये उपलब्धि का समान स्तर निर्धारित करने वाला मानवाधिकारो की वैश्विक घोषणा को पारित किया। इसी कारण 10 दिसम्बर सम्पूर्ण विश्व "मानवाधिकार दिवस" मनाया जाता है।

मानवाधिकार आयोग (U.N.C.H.R.) के घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद है, इसमें मानव के समाज में गरिमामय जीवनयापन के सभी बिन्दुओं का समावेश किया गया है, लेकिन यू. एन.ओ. के महासचिव ने 10 दिसम्बर 1990 को कहा था – "मानव अधिकारों के प्रशासन को सार्वभौमिक बनाने के लिये अभी हमे बहुत कुछ करना है। आकांक्षाओं एवं वास्तविकताओं के बीच अत्यंत गहरी खाई है, इसे पाटना अवश्यम्भावी है।"

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव के कुछ कर्तव्य निर्धारित किये है :–

1. प्रत्यके नागरिक मानवाधिकारो का सम्मान करे।
2. मानवाधिकारो के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिये सहयोग करे।

महिला मानव अधिकार

नारी में ममता, माधुर्य एवं महानता का अद्‌भुत संगम देखा जाता है। वह प्रत्येक अग्नि परीक्षा को पार करती हुयी समाज की समस्याओं का सामना कर उनका समाधान करती रहती है। ह्रदय मे वेदना की ज्वालामुखी छिपाए हुए होठो पर मधुर मुस्कान लिए पुरूष से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयत्न करती है। इसी आधार पर गांधीजी ने स्त्री को अहिंसा का अवतार माना है। पुरूष के समान होने के बावजूद सदियो से स्त्री इन अधिकारों से वंचित रह रही है।

इस स्थिति में ही नया रूप सामाने आया वह महिला मानवाधिकार है। किसी भी जगह अधिकारो को किसी वर्ग विशेष के लिये नही बताया गया है। मानव मात्र के अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त है, परन्तु महिला के साथ ऐसा नही हुआ। समाज में पुरूष और महिला दोनो समान धुरी है, फिर भी पुरूष को अधिक अधिकार प्राप्त है। समाज को वर्गो में बांट दिया गया, जबकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नही है। प्राचीन समय में स्त्री का मान–सम्मान था, महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था तथा सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। यहां तक कि वेदो में महिलाओं के लिये महान उक्ति लिखी गयी –

"यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता।"

"अर्थात जहां नारियों को पूजा जाता है, वहां देवता निवास करते है।"

वैदिक युग में महिलाओं को शिक्षा का, शासन का (राजनीतिक) सामाजिक अधिकार प्राप्त थे तथा पुरूषो के समान कार्य करने का अधिकार था। धीरे – धीरे समाज में नारी की स्थिति कमजोर होने लगी व पुरूष को प्रधान माना जाने लगा।

आधुनिक समय में ये सब देखते हुए मानव अधिकारो व मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान की जो बात कही वह समस्त मानवता के संदर्भ में नारी व पुरूष के भेद भुलाकर समान रूप से कही गई है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये संस्थाये बनाई उनमें नारी के सहयोग की अपेक्षा पूर्ण निष्ठा के साथ की गई।

भारत में 1947 से 2016 तक महिला मानवाधिकार

सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य के रूप में स्थापित होने के साथ भारतीय गणराज्य का उदय हुआ। अपनी स्वतंत्रता के साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बना। अपने पारम्परिक मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वैश्विक परिदृश्य और संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में उसने अपने संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माता, भारत में महिलाओं की अधिकार प्रस्थिति से अपरिचित नही थे, साथ ही स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय सहभागिता ने महिला शक्ति को सिद्ध भी कर दिया था। वैश्विक स्तर पर महिला स्वतंत्रता और अधिकारिता के आन्दोलन संचालित किये जा रहे थे। इस समस्त परिदृश्यात्मक विश्व जगत का परिणाम यह हुआ कि भारतीय संविधान में स्त्री अधिकारों का स्पष्ट रेखांकन किया गया। जहाँ स्त्री को समानता स्वतंत्रता के साथ उसकी खोई गरिमा लौटाने का प्रयास हुआ वहीं हमारी संसद भी इस कार्य में पीछे नही रही और समय–समय पर उसने नारी अधिकारों के क्षेत्र में अपनी विधायन शक्ति का प्रयोग करते हुए स्त्री

अधिकारों को मजबूत करने और उसे मानव का दर्जा प्रदान करने हेतु विभिन्न अधिनियम बनाये। संविधान के उपबन्धों और भारतीय दंड संहिता एवं विभिन्न अधिनियमों द्वारा महिलाओं को भारत में विभिन्न अधिकार प्राप्त है।

संविधान द्वारा प्राप्त मानवाधिकार

भारतीय संविधान 26 नवम्बर, 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को इसे जनता को समर्पित किया गया। इसमें एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य स्थापित करने की बात कही गयी, सभी वर्गो को समानता के आधार पर देखा गया है तथा सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए वर्गो के लिए विशेष उपबन्ध किये गये है। वे समस्त अधिकार जो कि मानव को प्राप्त होने चाहिए उन सब अधिकारों को इसमें समानता के आधार पर समावेशित किया गया है। जिससे सिद्ध होता है कि स्त्रियों को भी वे समस्त अधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त हैं, जो कि पुरूषों को प्राप्त है। हमारा संविधान भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रदान करने की मंशा की घोषणा करता है। महिला अधिकारों के सन्दर्भ में यदि संविधान को दृष्टिगत किया जाये तो यह महिलाओं और पुरूषों में लैंगिक भेदभाव मिटाने का ध्येय रखता है। "इस बात को तूल देता है कि महिलाओं को पारम्परिक रूप से प्रताड़ित किया गया है तथा हीन समझा गया है। इस अन्याय को समाप्त करने के लिए संविधान, सरकार को महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है" तथा "निहित रूप में यह उम्मीद रखता है कि सरकार सभी कमजोर वर्गो, जिसमें महिलाएँ शामिल है, की स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न करेगी।"

भारतीय संविधान के अन्तर्गत महिला मानवाधिकारों को विशष रूप से देखा जा सकता है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में महिला मानवाधिकार निहित है, जिसके अनुसार संविधान राष्ट्र का मूलभूत सिद्धांत है। वह राज्य के विभिन्न अंगों का गठन कर उन्हे शरीर देता है, शक्ति देता है। उसके शरीर गठन के पीछे, अंगो की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा होती है, एक आत्मा होती है, जिसको शब्द रूप मिलता है प्रस्तावना में। सिद्ध है कि

प्रस्तावना किसी भी संविधान का दर्पण होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी इसी रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में महिला मानवाधिकारों की सर्वप्रथम पुष्टि संविधान की प्रस्तावना में ही होती है, 42वें संविधान संशोधन के पश्चात हमारे संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार से है –

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्ड़ता सुनिश्चित करने वाली बन्धुआ बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् 2006 विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।"

प्रस्तावना से प्रतिबिम्बित होता है हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है।

सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में सभी मनुष्यों को मानव होने के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, लिंग, सम्पत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नही किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थिति के अन्तर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी कृत्रिम सामाजिक दीवारों के लिए कोई स्थान नही हो सकता। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना है। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का पूरक है और इसका तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना तथा ऐसी व्यवस्था का अन्त करना है, जिसमें कुछ साधन सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हों। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी सम्भव है, जबकि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो और उनका प्रयोग समस्त समाज के हितों की दृष्टि से ही किया

जाए। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता और योग्यतानुसार रोजगार, रोजगार के बदले में भरण–पोषण के लिए पर्याप्त वेतन और गम्भीर आर्थिक विषमताओं का अन्त आदि बातें सम्मिलित है। 'राजनीतिक न्याय' का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार और धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी भेदभाव का निषेध राजनीतिक न्याय प्राप्ति के साधन है।

संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत न केवल न्याय वरन् इसके साथ ही स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। हमारे संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नही, वरन् ऐसी सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे, जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास सम्भव होता है। इसी आधार पर उनके द्वारा विचार–अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान में स्थान दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की व्यवस्था दी गई है। समानता स्वतंत्रता की पूरक है और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता को दो 'आयामों' में अपनाया गया है, ये है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता।

विभिन्न अधिनियमों से प्राप्त महिला मानवाधिकार

भारतीय लोकतंत्र में समतामूलक न्याय आधारित समाज की स्थापना का प्रयास संविधान के उपबंधो में निहित है। लिंग आधारित मुद्दे – श्रमिक व कृषक हित, घरेलू हिंसा, महिला अपराध जैसे नव सामाजिक आंदोलन के विषय रहे है।

महिलाओं को समुचित सम्मान दिलाने के लिये कई सामाजिक कार्यकता सक्रिय है। इनमें **सेवामंदिर**, प्रगतिशील महिला संगठन, सेवा (SEWA) संगठन (इला भट्ट के नेतृत्व में) आस्मिता जैसे संगठन संक्रिय है।

स्त्री विमर्श पत्रिका – सबला, मनुषी, सहेली तथा उत्तरा जैसे सामाजिक पत्रिकाओं ने

नारी चेतना का विकास किया है। इन आंदोलनो के प्रभावस्वरूप –

- दहेज निरोधक अधिनियम
- बाल विरोधी अधिनियम
- घरेलू हिंसा (निवारण) अधिनियम 2005
- कार्यस्थल पर उत्पीड़न (रोकथाम) अधिनियम (2013)
- पॉस्को कानून
- बलात्कार रोकथाम अधिनियम (2013)

जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने महिला अत्याचार, यौन उत्पीड़न रोकथाम के संबंध में सरकार को व्यापक सुझाव दिये है।

महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण 50 प्रतिशत बढ़ाकर राजस्थान ने अभिनव पहल की है। संसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण हेतु 2008 में 108 वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है, जो पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता का शिकार होकर अधरझूल में लटक रहा है। इसके आलवा 'समान कार्य के लिए समान वेतन'

समय – समय पर महिला अधिकार उन्नयन हेतु इसके द्वारा विभिन्न अभि समय,

इकरारनामे एवं घोषणाये की गयी तो संस्थात्मक तंत्र भी विकसित किये गये। महिला सम्मेलनो द्वारा महिला मानवाधिकारों को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं उनकी स्थापना हेतु रणनीति तैयार करने का कार्य किया गया। विशेष रूप से महिला मानवाधिकार के उत्थान हेतु किये गये विभिन्न समझौतो एवं इकरारनामों मे महिलाओं के राजनीतिक अधिकारो पर समझौता, विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर समझौता, विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु एवं विवाह के पंजीकरण पर समझौता तथा महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी कनवेंशन इत्यादि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। इस तरह महिला मानवाधिकारों की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

यद्यपि भारतीय समाज में नारी की भूमिका सदैव से अत्यंत गरिमामयी और महत्वपूर्ण रही है, बावजूद इसके वह सदियों से उत्पीड़ित की गई है। इसका कारण हमारे पुरूष प्रधान समाज की संरचना है, जिसने समस्त जनमानस को कुप्रभावित कर रखा है। स्वयं स्त्रियां भी अपनी पिछड़ी संस्कार जनित मानसिकता से उबर नही पायी है। आशाजनक वर्तमान स्थिति यह है कि अब महिलाओं के उत्थान एवं उन्नयन के लिये राजकीय, सामाजिक एवं अन्य गैर राजकीय संस्थाएं व्यापक रूप से कार्यरत है। वस्तुतः सैद्धान्तिक दृष्टि से भारतीय परिवेश मे महिलाएं व्यापक रूप से अधिकार सम्पन्न है। मनरेगा मे महिला श्रमिक को प्राथमिकता, हिंसा निवारण के लिये महिला थानो की स्थापन्ना, तेजाब हमला (Acid Attack) की पुर्नभरण व्यवस्था, प्रसुति अवकाश, मातृशिशु सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य व पोषण की व्यवस्था हेतु अनेक प्रयास किये गये है।

महिलाओं को सम्मान अधिकार दिलाने के लिये अनेक संस्थाए सैद्धान्तिक रूप में कार्यरत है, परन्तु व्यवहारिता मे देखा जाये तो ये सब निरर्थक सिद्ध होते है। यदि ये संस्थाए सुचारू कार्य करती तो समाज में नारी की यह दयनीय स्थिति देखने को नही मिलती, लेकिन कानून सिर्फ तोड़ने के लिये बनते है। जब कानून बनता हैा, उससे पहले उसका दुरूपयोग का तरीका निकाल लिया जाता है।

आज सही रूप में देखा जाये तो महिला कहीं भी सुरक्षित नही है। समाज में महिला का जो रूप वैदिक युग में था, आज बिलकुल रूप सामने आ रहा है। इसे उपभोग की वस्तु माना जा रहा है। असामाजिक तत्व गलत तरीके से व्यवहार करते है। एक महिला कार्यक्षेत्र पर तो अन्य लोगो से असुरक्षित है, परन्तु परिवार में वह अपनो से भी सुरक्षित नही है। जब एक पिता अपनी बेटी से बलात्कार कर सकता है, तो अन्य सामाजिक परिवेश में उसकी सुरक्षा की क्या आशा की जा सकती है। एक लड़की का पति जो शादी करके सात वचन देकर उसे लाता है, वही उसे केरोसिन तेल डालकर दहेज के लिये जिन्दा जला देता है। एक लड़की कॉलेज के लिये निकलती है और कुछ बदमाश उसके मासूम चेहरे पर तेजाब डालकर उसे बदसूरत बना देते है या कुछ बदमाश सड़क से गाड़ी में डालकर ले जाते है और सामूहिक बलात्कार करते है। यह तस्वीर अपने समाज की साक्षात तस्वीर है।

एक चार वर्षीय मासूम जिसकी अभी खिलौने से खेलने की उम्र है, उसके साथ दरिन्दों के द्वारा जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और वह दर्द से कराहती है, मगर उसे सही समय पर इलाज भी नही मिलता है।

उस समय अपने आयोग, संस्थाऐ, अधिनियम कहां चले जाते है, जब उसका जीवन तबाह होता है। कुछ लोग रैलीयां निकालते है, केंड़ल मार्च करते है, ये सब दिखावा ऐसा करने वाले ही उस अपराध को बढ़ावा देते है।

सभयता यह है कि आज भी नारी असुरक्षित है। यदि वह अपने अधिकारों को समझ भी लेती है, इस क्षैत्र में अपना ज्ञान बढ़ा भी लेती है, तो भी उसे मांगने के लिये तो जाना

पड़ेगा और जब वह न्यायालय में न्याय की मांग करती है, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है।, उसमें बैठे समाज के ठेकेदार उससे ऐसे – ऐसे सवाल पूछते है कि वह बीच में आत्मसमर्पण कर देती है। अतः सत्य को समाज के द्वारा छिपाया जाता है, अनेक महिलाये रोज किसी न किसी हिंसा का शिकार होती है, मगर सामाजिक मर्यादा के लिये सहन करती रहती है।

समाज में स्थापित सभी आयोग व संस्थाओ को सचेत किया जाये ताकि सही समय किसी की जिन्दगी बर्बाद होने से बचाया जा सके।

2. विषय एवं अध्ययन क्षैत्र :–

विषय :– भारत में महिला मानवाधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 1947 से 2016

अध्ययन क्षैत्र :– वर्तमान समाज में नारियों को उनके मानवाधिकारों से अवगत करवाकर अधिक जागरूक करने के लिये

" भारत में महिला मानवाधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 1947 से 2016 तक" को मैने अपने शोध के विषय के रूप में चुना है। अधिकारों के संदर्भ में वैदिक काल मे महिलाओ का उच्च स्थान था, उन्हे पुरूषो के समान अधिकार प्राप्त थे।

मध्यकाल तक आते – आते यह स्थिति विपरित हो गयी। महिलाओ के सभी अधिकार समाप्त कर दिये गये तथा उन्हे भोग की वस्तु के रूप में माना जाने लगा।

महिलाओं की इस स्थिति को देखते हुये सुधार के लिये कार्य किये गये, जिनमें कि अमरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख स्थान है। इनके द्वारा कई प्रयास किये गये तथा महिलाओं को पुरूषो के समान दर्जा दिलाया गया।

सैद्धान्तिक रूप से वर्तमान में महिलाओं को सभी अधिकार प्रदान किये गये है, परन्तु इनकी जानकारी महिलाओं तक नही पहुंच पाती है, जिनको आवश्यकता है, वहां तक अधिकार नही पहुंचते है। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलायें भी इसका सदुपयोग नही कर पा रही है, क्योंकि पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता है।

वर्तमान समाज में जो विभिषिका देखने को मिल रही है वह आने वाले भविष्य के लिये विनाशकारी सिद्ध होती जा रही है तथा वर्तमान युवा पीढ़ी पर भी विपरित प्रभाव डाल रही है, जिससे भविष्य अंधकारमय होता नजर आ रहा है।

भावी पीढ़ी को विनाश से रोकने के लिये तथा दुष्प्रभाव से बचाने के लिये महिला का सम्मान आवश्यक है तथा वह अपने अधिकारो को प्राप्त कर सके, इसलिये उसे अधिकारो से अवगत कराना प्रथम कर्तव्य है।

वस्तुतः महिला समाज की नींव है, यदि उसको अपने अधिकारो का आभास नही

होगा, तो वह अगली पीढ़ी को प्रभावी ज्ञान नही दे पायेगी।

अतः महिलाओं के अधिकारो व सम्मान मे गिरावट के कारण क्या थे? जो कि नारकीय जीवन प्रदान कर रहे है, उनका समाधान व सुझाव वर्तमान समाज तक पहुंचाने के लिये तथा महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान करवाने के लिये मैंने इस विषय को अपने शोध विषय के रूप में चुना है, क्योंकि महिलाओं के उत्थान के बिना किसी भी समाज की उन्नति के बारे मे सोचना व्यर्थ है।

3. उद्देश्य :–

1. भारत में मानवाधिकारों का महिलाओं के संदर्भ में अध्ययन करना।
2. भारत में महिला मानवाधिकारों की समस्याओं का अध्ययन करना।
3. मानवाधिकार दिलाने के लिये किये गये विभिन्न प्रयासों का अध्ययन करना।
4. भारत में महिला मानवाधिकार संगठनों का अध्ययन करना।
5. भारतीय समाज में महिला मानवाधिकार की व्यवहारिकता का अध्ययन करना।
6. महिलाओं की सामाजिक स्थिति के उत्थान के सुझावों का अध्ययन करना।

4. अध्ययन रूप रेखा :–

प्रस्तुत शोध को सात भागो में विभक्त किया गया है।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
2. मानवाधिकार – उद्‌भव व स्वरूप
3. भारतीय महिला मानवाधिकार स्थिति 1947 से 1965
4. भारतीय महिला मानवाधिकार स्थिति 1966 से 1985
5. भारतीय महिला मानवाधिकार स्थिति 1986 से 2000
6. 21वीं सदी में भारतीय महिला मानवाधिकार स्थिति 2001 से 2016 तक
7. समाधान
8. उपसंहार

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :– मानव के अधिकार मानवाधिकार कहलाते है। प्रत्येक मानव इस मानव परिवार का सदस्य है तथा यहां अपनी गरिमा को बनाये रखने के लिये उसे जो अधिकार आवश्यक है, वही मानवाधिकार है। मानवाधिकारों से ही मानव का अस्तित्व संभव है।

2. मानवाधिकार – उद्‌भव व स्वरूप :– मानवाधिकारों का उद्‌भव प्राचीनकाल से माना जाता है। हर काल मे इनकी आवश्यकता हुई और अलग – अलग प्रकार से प्राप्त किया गया। आधुनिक काल में मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम संघर्ष इंग्लैण्ड़ में 13 वीं शताब्दी से आरम्भ हुआ। मानवाधिकारों का वर्तमान स्वरूप कई क्रांतियों व संघर्षो से प्राप्त हुआ है, जिसे बनाये रखने के लिये भी आज संघर्ष करना पड़ रहा है।

3. भारतीय महिला मानवाधिकार स्थिति 1947 से 1965 – स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रथम कार्य अपना अस्तित्व बनाये रखना था। इसमें महिलाओं के लिये व सभी भारतीयों के लिये 26 जून 1950 के दिन संविधान लागू किया, जिसमें सबकों मूल अधिकार

प्रदान किये गये। इनमें महिलाओं के अधिकार भी थे।

4. **भारतीय महिला मानवाधिकार स्थिति 1966 से 1985 –** इस समय महिलाओं को सभी क्षेत्रो में अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि 1966 में भारत के प्रधानमंत्री पद पर एक महिला (इंदिरा गांधी) आसीन थी। जिन्होने महिलाओं के विकास के लिये व स्थिति में सुधार के लिये कई योजनाएं चलाई।

5. **भारतीय महिला मानवाधिकार स्थिति 1986 से 2000 –** इस राज्य तक महिलाओं के पास अधिकार होते हुये भी वह पुरूष प्रधान समाज में निम्न स्थिति में पहुंच गई। अधिकत्तर महिलाएं किसी न किसी प्रकार में शोषण का शिकार होने लगी तथा इसी समय में भारतीय महिला मानवाधिकार आयो (27 दिसम्बर 1993) व राज्य महिला मानवाधिकार आयोग भी स्थापित किये गये।

6. **भारतीय महिला मानवाधिकार स्थिति 2001 से 2016 –** 21वीं सदी को नारी सदी माना गया है। इसमें प्रत्येक महिला शिक्षित हो गयी तथा रोजगार के लिये बाहर जाने लगी। कामकाजी महिलायें शिक्षित थी फिर भी उनका शोषण होता है, इन सबको देखते हुये सरकार के द्वारा कई कानून बनाये गये है तथा स्थिति में सुधार के प्रयास किये गये है।

7. **समाधान :–** महिलाओं की स्थिति को देखते हुये इनके सुधार के लिये समाधान के रूप में अधिनियम बनाकर उन्हे सुरक्षित किया गया है। समान वेत्तन का प्रावधान किया गया तथा पॉस्को कानून, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 आदि समाधान किये गये है।

8. **उपसंहार :–** मानवाधिकारों को पूर्ण रूप से प्राप्त होने पर समाज सुव्यवस्थित होगा और विकास करेगा। विश्व में सभी समाज समानता के भाव से रहकर विकास कर रहे है। भारत भी इसी तरह अपने समाज को उन्नत बनायेगा।

5. शोध परिकल्पना :–

आज तक मेरे अध्ययन में मानवाधिकारों के साथ महिलाओं की स्थिति की जानकारी की वास्तविकता का पता लगाने के लिये तथा वर्तमान में इसकी सार्थकता के मूल्यांकन के लिये मैंने अपने शोध में इस विषय को चुना है।

वैदिक काल में मानवाधिकारों व महिलाओं की स्थिति उच्च कोटि की थी, जिसमें नारियों को पूजा जाता था, उसको मध्यकाल में किस प्रकार नष्ट कर दिया गया तथा महिलाओं को क्यों अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

वैश्विक मानवाधिकार संस्था होते हुये भी आज महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त क्यों नही हो रहे है। तथा समाज में विभित्सक वातावरण क्यों बन गया है। महिला अपने परिवार पर विश्वास नही कर सकती। क्योंकि उसे ऐसा वातारवरण देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यो है? अपने पूर्वज तो ऐस नही थे, उन्होने तो महिलाओं को पूजा है, तो आज उनकी संतान इतनी निर्दयी क्यों हो गयी है?

महिलाओं के लिये कई संगठन बने हुये है, जो कि मानवाधिकारों का दावा करते है, वे भी अपना कार्य उचित रूप से नही कर रहे है। इसका कारण क्या है? इनकी वास्तविकता का पता लगाने के लिये मैंने अपने शोध का विषय 'भारत में महिला मानवाधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 1947 से 2016 तक' में चुना है।

6. शोध प्रश्न :–

1. मानवाधिकार क्या है? कैसे प्राप्त किया गया?
2. प्राचीन समय में मानवाधिकारों की स्थिति क्या थी?
3. मानवाधिकार महिलाओं के लिये क्या है?
4. महिलाओं के लिये मानवाधिकार आयोग द्वारा क्या कार्य किये गये?
5. भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है?
6. अधिकारों के बावजूद आज की महिला की स्थिति चिन्तनीय क्यों है?
7. महिलाओं की स्थिति सुधारने के सुझाव क्या है?

7. शोध पद्धति :–

प्रस्तावित शोध प्रबंध में ऐतिहासिक शोध का प्रयोग किया जायेगा, जो कि ऐतिहासिक व विकासात्मक अध्ययन से संबंधित है। जिसमें विभिन्न कारको के मध्य संबंधो की व्याख्या एवं उनके मध्य गव्यात्मक क्रिया का प्रसंगवार विवेचन किया जायेगा।

इस संदर्भ में महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रयोग आवश्यक है, जिसके लिये आस–पास के जिलो के अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकालयों का सहयोग लिया जायेगा। अध्ययन में मानवाधिकार महिलाओं के संदर्भ में का अवलोकन करने के प्राथमिक स्त्रोत की सहायता ली जायेगी।

यह अध्ययन मुख्यतः ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक एवं विकासात्मक प्रवृत्ति का होगा। इस अध्ययन के दौरान सार्थक पुस्तकों, लेखों, रिपोर्ट, दस्तावेजो और अन्य स्त्रोतो की सहायता ली जायेगी, जिससे अध्ययन मे समग्रता का समावेश होगा।

आधुनिक काल के विद्वानो द्वारा लिखित सहायक ग्रंथो से सामग्री प्राप्त की जायेगी, इसके लिये राजस्थान विश्वविद्यालय की 'सेन्ट्रल लाइब्रेरी' से अनेक पुस्तको का अध्ययन किया जायेगा। अनेक पत्र–पत्रिकाओ, नेट, जनरल्स आदि की सहायता ली जायेगी।

8. साहित्य का अवलोकन :–

1. डॉ. सतीश चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक (2007) "मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ" द्वारा मानवाधिकारों के लिये किये गये शुरूआती प्रयास और संगठनों को वर्णित किया गया है। इस आधार पर आधुनिक युग में व्याप्त मानव अधिकारों के विभिन्न देशो ने इसे अपने – अपने स्तर पर अपनाया। भारत में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गयी है तथा हर क्षैत्र में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किये जाते है।

2. डॉ. सतीश गुप्ता, ने अपनी पुस्तक "भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार" में भारतीय संविधान के आधार पर मानवाधिकारों का विवेचन किया गया है। भारत के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा के लिये इसे संविधान में कानून से रक्षित किया गया है। प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकारों के हनन पर न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है तथा सजा का भी प्रावधान किया गया है।

3. 'एम.ए.अंसारी' ने अपनी पुस्तक "राष्ट्रीय महिला आयेाग और भारतीय नारी" के माध्यम से महिलाओं के मानवाधिकारों का वर्णन किया है। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी है। जिसके माध्यम से महिलाये अपने अधिकारो को प्राप्त कर सके तथा अत्याचार होने पर आयोग की शरण ले सकती है।

4. डॉ. सुशील महावर ने अपनी पुस्तक "राज्य एवं महिला मानवाधिकार" में महिलाओं के अधिकारों का वर्णन किया है। राज्यों के द्वारा भी प्रत्येक महिला के अधिकारो की रक्षा की जाती है तथा किसी भी अपराध की सूचना रखी जाती है। महिलाये अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये आयोग से सूचना प्राप्त कर सकती है। वर्तमान संदर्भ में महिलाओं के पास सैद्धान्तिक अधिकार अधिक है, लेकिन वे व्यावहारिक रूप से न के बराबर है, जिसका परिणाम दिनोदिन बढ़ रहे अपराध है, तो इन आयोगो द्वारा नियमित कार्य किया जाना चाहिए।

5. 'एम.ए.अंसारी' की पुस्तक "महिला और मानवाधिकार" में महिलाओ को दिये गये अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। उनकी सत्यता का परीक्षण किया गया है। इस संसार में सुजीवन के लिए आत्मविश्वास व आत्मज्ञान आवश्यक है। यह आत्मज्ञान "मैं" से "हम" बनकर रहना है। जीवन, सत्यम, शिवम्, सुन्दरम् के साथ केवल मधुरम, मधुरम, मधुरम।

6. आशा कौशिक, "मानवाधिकार और राज्य : बदलते संदर्भ, उभरते आयाम", पोईन्ट पब्लिशर्स, जयपुर, 2004

प्रस्तुत पुस्तक मानवाधिकारों से सम्बद्ध बदलते संदर्भो एवं वैचारिक तथा क्रियात्मक आयामों का विश्लेषण व आकलन है। मानवाधिकारों की अपरिहार्यता निर्विवाद होते हुए भी इनसे सम्बद्ध अनेक पक्ष विवादित रहे है, आज भी है और सम्भवतः भविष्य में भी रहेंगे क्योंकि मानवाधिकारों का प्रश्न निरपेक्ष रूप में व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय या वैश्विक नही है। यह प्रश्न इन सभी स्तरों पर मानवाधिकारों के वैचारिक/विचारधारागत प्रतिमानों, राजनैतिक, विधिक एवं संस्थागत पक्षों तथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भो की अन्तःक्रिया का प्रश्न है। संपादिका के अनुसार भारतीय सन्दर्भ में सम्पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम मानवाधिकार संघर्ष का ही पर्याय था। अतः भारत में मानवाधिकारों की विवेचना स्वाधीनता आन्दोलन के आलोक में ही सम्भव है। प्रस्तुत पुस्तक मानवाधिकार के वर्तमान संवैधानिक – विधिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में निश्चित दीर्घकालीन संघर्षपूर्ण इतिहास की मुख्यधारा में अपने अमूल्य योगदान के आलेखन से वंचित अनेकानेक संघर्षकर्त्ताओं विशेष रूप से कामरेड पूरणचन्द्र शर्मा के प्रति अपनी नैतिक एवं वैचारिक श्रद्धान्जलि की फलश्रुति है।

7. बी. एस. असवाल, "वूमेन एण्ड ह्यूमन राइट्स", साइबर टेक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010

मानवाधिकार और महिला की मूलभूत स्वतंत्रता तथा अनेक ऐसे मुद्दे है जो कि महिला मानवाधिकार के रूप में स्वीकृत किये जाने चाहिए। इन्हीं मुद्दों के सन्दर्भ में प्रस्तुत

पुस्तक महिला मानवाधिकार की अवधारणा से परिचित करवाती है, जिसके तहत् प्रबोधनकाल के प्रयासों से लेकर नारीवाद की विभिन्न धाराओं की स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करने के साथ विभिन्न नारीवाद चिन्तकों एवं आन्दोलनकारियों के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् महिला के मानवाधिकार क्या हैं? पर विचार व्यक्त करते हुए लेखक ने महिला के विभिन्न मानवाधिकारों को रेखांकित किया है। विभिन्न क्षेत्रों में महिला मानवाधिकारों को सूचीबद्ध करने के पश्चात् विश्व के कुछ देशों (फिलीपींस, तिब्बत, जायरे, अर्जेन्टाइना, पेरू इत्यादि) में महिला मानवाधिकारों की स्थिती को रेखांकित किया गया है। इस सम्बन्ध में लेखक ने अपनी एक शोध परियोजना के अर्न्तगत किये गये विभिन्न व्यक्तिवृत अध्ययनों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। लेखक ने पुस्तक में महिला मानवाधिकारों की व्याख्या प्रस्तुत करने के साथ विभिन्न देशों में महिला मानवाधिकारों की स्थिति का विश्लेषण किया है। निष्कर्षतः महिला मानवाधिकारों को समझने की दृष्टि से पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है।

8. सुधारानी श्रीवास्तव, "महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार", अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009

प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका द्वारा भारत में उत्पीड़न की स्थिती को प्रदर्शित करते हुए उसके उपचार हेतु कानूनी उपायों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम लेखिका द्वारा भारतीय महिला की वेदकालीन स्थिति को वर्णित करते हुए महिला की विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की गयी है। तत्पश्यात् महिलाओं के उत्तरदायित्वों को रखा गया है। रूढ़ियों ने किस प्रकार से महिला को प्रभावित किया तथा ऐसी कौनसी प्रथाएँ है जो महिला को कुप्रभावित कर उसे उत्पीड़न की अवस्था में पहुँचाती है, की भी सटीक व्याख्या की गयी है। इसके पश्यात् लेखिका ने भारतीय महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को चार श्रेणियों – भरण – पोषण व्यय, अपहरण, जारकर्म एवं द्वितीय विवाह में विभाजित कर कानून उपचारों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। जिसके तहत् महिला अधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों को व्याख्यापित करने के साथ ही कानूनों में व्याप्त क्रूरता का वर्णन भी किया गया है। लेखिका ने न केवल कानूनों की

स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी है वरन् उनकी व्यावहारिकता का भी उल्लेख किया है।

9. दीपा जैन, "महिला सुरक्षा एवं महिला पुलिस", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थअकादमी, जयपुर, 2007

लेखिका द्वारा महिला अधिकारों एवं कानून के प्रति जागरूकता की दिशा मे इस पुस्तक के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। परिवार के स्वरूप में ही स्त्री के व्यक्तित्व को समाहित मानने वाली भारतीय पुरूष प्रधान सामाजिक परम्पराओं ने भारतीय स्त्री को 'स्व व्यक्तित्व' के बोद से सदैव विलग (पृथक्) रखा। विवाह से पूर्व पिता तथा विवाह उपरान्त पति के नाम से पुकारे जाने वाली स्त्री की कभी अपनी कोई पहचान नहीं रही। कोमलांगी फिर भी परिवार की इज्जत, कुल की मर्यादा तथा समाज की परम्परा के भार को अकेले वहन करने वाजी स्त्री का जीवन विडम्बनओं का पर्याय रहा है, एक तरफ उसे 'देवी' की उपमा दी जाती है, तो दूसरी तरफ उसे मानव होने का अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। इसी स्थिति पर आक्रोश व्यक्त करते हुए लेखिका ने प्रश्न उठता है, कि क्या कर्तव्यों की अग्नि मे स्वयं को होम कर देना ही नारी जीवन की नियति है? लेखिका के अनुसार महिलाओं की शोचनीय दशा का मूल कारण उनमें अपने अधिकारों एवं कानूनों की प्रति चेतना का अभाव है। समता मूलक समाज के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुये लेखिका ने महिला अधिकारों एवं कानूनों की जागरूकता की दिशा मे महिला पुलिस की भूमिका को रेखांकित किया है।

10. पद्मा अय्यर, "ह्यूमन राइट्स ऑफ विमिन", पोईन्टर पब्लिशर्स जयपुर, 2006

महिला मानव अधिकारों के सैद्धान्तिक स्वरूप को रेखांकित करती यह पुस्तक महिला मानवाधिकारों के उद्विकास से लेकर समसामयिक परिप्रेक्ष्य में महिला अधिकारों की बहस को अपने कलेवर मे समाविष्ट करती है। लेखिका ने नारी अधिकारवादी लेखन मे मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट से पूर्व की लेखिकाओं के योगदान का चित्रण करते हुए नारीवाद की तीनों लहरों का विवेचन किया है। महिला मानवाधिकारों के संघर्ष मे मील का पत्थर कहे जा सकने वाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संधि–समझौतों की व्याख्या करते

हुए महिला मानवाधिकारों को परिभाषित कर एक स्पष्ट समझ बनाने का प्रयास सराहनीय है। इस सबके साथ पुस्तक महिला मानवाधिकार हनन तथा महिला हिंसा से जुड़े मुद्दों को उठाने का प्रयास करती है तथा समस्त मानवाधिकार कार्यक्रमों को लैंगिक परिप्रेक्ष्य मे देखने का प्रयास करती है। पुस्तक के अंत मे लेखिका द्वारा निष्कर्षात्मक टिप्पणी देने से पूर्व स्थानीय संस्थाओं तथा गैर–सरकारी संगठनों के महिला मानवाधिकारों के संदर्भ योगदान को विश्लेषित किया गया है। पुस्तक पाठकों एवं शोध छात्रों हेतु महिला मानवाधिकारों के सन्दर्भ मे सैद्धान्तिक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अत्यन्त उपयोगी है।

9. सन्दर्भ / टिप्पणियाँ :–

1. नचिकेता सिंह, मानव अधिकार : विभिन्न अर्थ, तपन बिसवाल (सं.), मानवाधिकार, जेण्डर एवं पर्यावरण, विवा बुक्स, नई दिल्ली, 2009 पृष्ठ – 57
2. संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्बन्ध में बुनियादी तथ्य, संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र द्वारा अनुदित एवं प्रकाशित, 2001 पृष्ठ – 243
3. अधिक जानकारी के लिए देखें, सुसान मोलर ओकिन, वूमेन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्रिन्सटन यूनिवर्सिटि प्रेस, 1979 पृष्ठ – 73
4. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नारीवादी राजनीति : संघर्ष व मुद्दे, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2001 पृष्ठ – 57
5. सीमोन द बूवो, द सेकण्ड सेक्स (प्रभा खेतान द्वारा अनुदित), हिन्दी पाकेट बुक्स, नई दिल्ली, 2004 पृष्ठ – 66
6. सीमोन द बूवो, नोट – 5, पृष्ठ – 32
7. जॉन स्टुअर्ट मिल स्त्रियों की पराधीनता (प्रगति सक्सेना द्वारा अनुदित), राजकमल, विश्व क्लासिक दिल्ली, 2003, पृष्ठ – 14
8. सुसान मोलर ओकिन, नोट – 3, पृष्ठ – 70
9. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नोट – 4, पृष्ठ – 24
10. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नोट – 4, पृष्ठ – 67
11. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नोट – 4, पृष्ठ – 68
12. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नोट – 4, पृष्ठ – 107
13. संयुक्त राष्ट्र का घोषणा – पत्र, संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, नई दिल्ली, 1995, पृष्ठ – 24
14. संयुक्त राष्ट्र का घोषणा – पत्र, नोट – 13 , पृष्ठ – 9

15. संयुक्त राष्ट्र का घोषणा – पत्र, नोट – 13 , पृष्ठ – 43

16. एम. के. सिंह एवं आशुतोष कुमार, संयुक्त राष्ट्रा संघ, कल्पना पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स, दिल्ली, 2003, पृष्ठ – 265

17. प्रभा आप्टे, भारतीय समाज में नारी, क्लासिक पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1996, पृष्ठ – 15

18. मनु 9/3 '' पिता रक्षति कौमार्ये, भर्त्ता रक्षति यौवने।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति।।

19. कमलेश कटारिया, नारी जीवन : वैदिक काल से आज तक, यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर, 2003, पृष्ठ – 13

20. बी. कुप्पुस्वामी, सोशल चेन्ज इन इण्डिया, कोनार्क पब्लिशर्स प्रा. लि., दिल्ली, 1990, सरस्वती मिश्रा, स्टेट्स ऑफ इण्डियन वूमेन, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2002 पृष्ठ – 37 से उद्धृत

21. एसोसिट प्रोपेसर एवं रीडर के पद को तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं व्याख्याता के पद को समकक्ष माना गया है।

22. मोहिनी चटर्जी, **विमिन्स ह्यूमन राइट्स,** आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2005, पृष्ठ 10–11

23. पदमा अयैर, **ह्यूमन राइट्स ऑफ विमिन,** पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2006, पृष्ठ 9

24. सरला माहेश्वरी, **नारी प्रश्न,** राधाकृष्ण प्रकाशन, 1998 पृष्ठ 20

25. कुलदीप फड़िया, **संयुक्त राष्ट्र संघ एवं प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठन,** प्रतियोगिता साहित्य सीरिज प्रकाशन, 2000, आगरा, पृ. 59–60

26. Untreaty.un.org/English/Treatyevent2001/Index.htm

27. **सीडॉ डॉक्यूमेन्ट,** विमिन 2000, यू.एन. डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्फोरमेशन द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ 1–2

28. **प्लेटफार्म फॉर एक्शन एण्ड दी बीजिंग डिक्लेरेशन,** युनाईटेड नेशन्स, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्फोरेमेशन, न्यूयार्क, 1996, पृ. 2–3

29. **सामाजिक विकास के लिए विश्व सम्मेलन, 6 – 12** मार्च; 1995 कोपनहेगन घोषणा और कार्यवाही योजना, संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, नई दिल्ली, भारत द्वारा अनुदित।

30. **सामाजिक विकास के लिए विश्व सम्मेलन,** नोट–8, पृ. vii

31. **सामाजिक विकास के लिए विश्व सम्मेलन,** नोट–8, पृ. ii

32. आशा कौशिक, **महिला अधिकारों का प्रश्नः भारतीय सन्दर्भ,** राज्य शास्त्र समीक्षा, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, वर्षः 30, अंक 1–2 जयपुर, जनवरी–दिसम्बर, 2000, (मार्च, 2004 में प्रकाशित), पृष्ठ–28

33. आशा कौशिक, नोट–11, पृष्ठ 31

34. आशा कौशिक, नोट–11, पृष्ठ 32

35. अधिक जानकारी के लिए देखें, एम. डब्ल्यू. पिंखेम, **विमिन इन द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ हिन्दूइज्म,** न्यूयार्क, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1941, आशा कौशिक, नोट–11, पृष्ठ 32 से उद्धृत।

36. अधिक जानकारी के लिए देखें ए. एस. अल्तेकर, **पोजीशन ऑफ विमिन इन द हिन्दु सिविलिजेशन,** बनारस, कल्चर पब्लिकेशन्स, 1938, आशा कौशिक, नोट–11, पृष्ठ 32 से उद्धृत।

37. आशा कौशिक, नोट–11, पृष्ठ– 32–33

38. नीरा देसाई, **भारतीय समाज में नारी,** मैकमिलन इण्डिया लि., नई दिल्ली, 1982, पृष्ठ 84–85

39. भारतीय दण्ड संहिता के तहत् महिला मानवाधिकारों को पुष्ट करने वाली प्रमुख धाराएँ– 228 क, 294, 304 ख, 312, 313, 314, 315, 316, 323, 325, 341, 342, 343, 344, 345, 354, 363, 363 क, 364, 366, 366 क, 366 ख, 369, 370, 372, 373, 376,

376 क, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 498क, 509

40. दण्ड प्रक्रिया संहिता में स्त्री अधिकारों से सम्बन्धित अन्य धाराएँ – 106 (1), 164(क), 174, 181 (2), 198,), 198, 327 (2), 360 (1), 416 एवं 437 (1)

इन्टरनेट वेबसाइट

- http://www.un.org
- http://www.un.org/instraw
- http://www.nhrc.ac.in
- http://www.du.ac.in/course/material/ug/ba/hrge
- http://www.unpant.un.org/intradoc/groups/publicydouments/apcity/unpanoo6181.pdf
- http://www.spartacus.schoolnet.co.uk.NORmagna.htm
- http://www.constitution.org/jjr/socon.htm
- http://www.righttohealthcare.org/Phil-b.htm
- http://en.wikipedia.org/wiki/human-right/historyofhumanrights
- http://www.untreaty.un.org/English/Treatyevent2001/Indox.htm
- http://wcd.nic.in
- http://www.esewa.org.lb/divisions/ecw.a8p
- http://www.unorg/documents/instrument/does-subj-en.asp?sabj=4
- http://www.answere.com/topic/human-rights,accessed